

क्रमांक :- 396

दिनांक :- 09-06-2026

श्रीमान उपवन संरक्षक
बारों

विषय :- जनपद बारा में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/6988/2014) रामगढ़ कालापट्टा से करवला लक्ष्मीपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.00 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अन्तिम स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ :- उपवन संरक्षक के पत्रांक एफ.सी.ए./उ.व.स./2026-27/8267 दिनांक 05.06.2026 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में दिनांक 01.10.2018 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त के क्रम में उपवन संरक्षक बारों द्वारा 18.04.2019 को 15,80,200/- रुपये की डिमाण्ड राशि जारी की गई जिसका भुगतान विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2019 को कैम्पा खाते में जमा करा दिया गया था तथा समस्त बिन्दुओं की पूर्ति कर कम्पलाईन्स रिपोर्ट कार्यालय के पत्रांक 116 दिनांक 25.04.2019 को जमा करा दी गई थी। उक्त कम्पलाईन्स रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रेषित कर दी गई थी किन्तु आक्षेपों के कारण अन्तिम स्वीकृति जारी नहीं हो पायी विभाग द्वारा भुगतान कर दिये जाने तथा गैर वन भूमि आवंटित कर दिये जाने के उपरान्त कार्य जनपयोगी होने के क्रम में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर 30.06.2021 को पूर्ण कर दिया गया था। जिसकी अन्तिम स्वीकृति के क्रम में प्रधान वन संरक्षक अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में दिनांक 18.08.2023 में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 39,52,120 रुपये जमा करा कर अन्तिम स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारों द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक 28.01.2026 को जारी डिमाण्ड राशि 39,52,120/- रुपये का भुगतान विभाग द्वारा 05.03.2026 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में उप वन संरक्षक कार्यालय को पुनः भिजवाई जा रही है। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अन्तिम स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

संलग्न

1. बिन्दुवार शर्तों एवं बैठक कार्यवाही दिनांक 18.08.23 की प्रति।

अ. नि. वि. शाहबाद
B
10-6-2026

(बसन्त कुमार गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 116

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

दिनांक : 25-4-19

विषय :- Diversion of 2.0 ha of forest land for construction of road from Ramgarh-Kalapatta Road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj. In Baran Forest Division.

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/17-18 9442-44 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

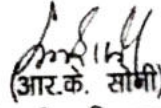
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेंसी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को निम्नानुसार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क्र.सं. शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्तर टोकेंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेंसी द्वारा 2.0 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.0 है० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.0 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.0 है० X 164100/- रु. प्रति हैक्टेयर की दर से राशि 328200/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.4.2019 को चालान द्वारा कापोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेंसी द्वारा 2.0 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, एन पी.वी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	शर्त संख्या 3 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.0 है० X Rs. 6.20 लाख प्रति है०) की दर से राशि रु 1252000/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.4.19 को चालान द्वारा कापोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। (ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छाया प्रति संलग्न है।

Off. Letter No. 20

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण-पत्र (सहम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(ग) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बड़ी हुई राशि के मुआवजे को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग सलग्न है।
शर्त संख्या 4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया आयेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 4 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. लिस्त्रों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग सलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 5 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति सलग्न है।
शर्त संख्या 7	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रमाणीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।	वन विभाग से सम्बन्धित है।


 (आर.के. सोधी)
 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


वसन्त कुमार गुप्ता
 अधिशाषी अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की
अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।



(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद



वसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 18-04-2019	
Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(In Rs)	1580200/-
Amount in Words : Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only • This challan is valid only for seven days.	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 18-04-2019	
Agency Name	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(In Rs)	1580200/-
Amount in Words : Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only • This challan is valid only for seven days.	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Payment done by
T.N. - 3748
23/04/19

शहरी विकास विभाग
राजस्थान सरकार

वसन्त कुमार गुप्ता
अधिसायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शालाबाद

18-Apr-19, 4:08 PM

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(In Rs)	1580200/-

Amount in Words: Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(In Rs)	1580200/-

Amount in Words: Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

T.V.H. - 3748
23/04/19

उपकायाधिकारी
शाहबाद (मि. ला-बारी)

वसन्त कुमार गुप्ता
अभिनीति अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारा

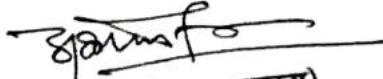
क्रमांक :

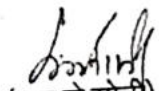
दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (ग)
की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन
राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।


(अशोक सनाद)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद


(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद


ब.सन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

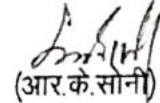
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।



(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद



वसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारा

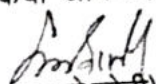
दिनांक :

क्रमांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की
अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति
से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं किया जायेगा।


(आर.के. सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद


अभिजात कुमार मुप्ता
अभिजात अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद
खण्ड-शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

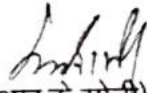
क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की
अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू
सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।


(आर.के. सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद


ज.स.नल कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सर्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारा

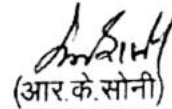
क्रमांक :

दिनांक : 25.04.2019

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि रामगढ़ - काला पट्टा रोड से
करवरा-लक्ष्मीपुरा सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह
का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार मक डिस्पोजल योजना
की आवश्यकता नहीं होगी।



(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद



बसन्त कुमार गुप्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारा (राजस्थान)

क्रमांक- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/

दिनांक- फरवरी, 2017

- आदेश -

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बारा द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एकड़ में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजन के तहत सीलदार अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारा के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/8614-20 दिनांक 18.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपार्ट) की गई हैं।

उप वन संरक्षक, बारा द्वारा पत्र क्रमांक एफ ()एफ.सी.ए./उवस/14-15/18782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 8523-20 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(286)राज-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं०	एकड़ (है०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेम्डी	39	13.20	बजड
			41	5.00	बजड
			42	6.52	बजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	5.56	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बजड
			133	10.81	बजड
			149	3.63	बजड
2	सीरसन		8 किता	62.24	
			175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
3	ताखा		2 किता	38.91	
			368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
	कुल योग		11 किता	103.40 है०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दर्जनाद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)

जिला कलक्टर

बारा

क्रमांक- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 26

दिनांक- फरवरी, 2017

प्रतिलिपि- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारा।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार अन्ता को भेजकर लेख है कि आरक्षित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दर्जनाद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारा।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर

बारा

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शालाबाद

Land to be allotted to Forest Department

21/09/14

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in Hectare)	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Old Cases						
1	Chhabra	Chhabarod	PMGSY	पाटरी से भटगाव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	गामोनी से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनखेड़ी बाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनाथदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेड़ा ✓	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जेतपुरा ✓	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	डिकोनिचा से तलायडा ✓	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से ज़िरी ✓	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिठा से रामपुर उपरैटी		
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एनएच-76 बि.नं. 5/3/0 से हुं ✓	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बसारा ✓	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसया ✓	4.00	
12	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVII (RSAMB)	कन्वन्थाना से बगनगवा ✓	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी फंदारकुई से सिलोरा ✓	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा ✓	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाडा से किशनपुरा ✓	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा ✓	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलायनी ✓	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन ✓	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	फंदारकुई से मुहाल ✓	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भवरगढ से रनवासी ✓	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा ✓	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी ✓	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सड़क किमी 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा ✓	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बगनदेह ✓	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली बाया दुर्जनपुरा ✓	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सड़क ✓	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सड़क (रामपुर उपरैटी) से ईसाटोरी ✓	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

Signature

Signature

बसन्त कुमार

सावधानी से
र. उ-शादीक

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remarks
1	2		3	4	5	6
29	NH Division	Atru		खेडली नादिया	1.02	18
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

[Handwritten Signature]

अधीनस्थ अधिकारी
सापुर्तिया विभाग, जल संयंत्र

[Handwritten Signature]

बसन्त कुमार गुप्ता
अधीनस्थ अधिकारी
सापुर्तिया विभाग
खण्ड-शाहबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

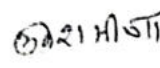
प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला स्तर पर वारं द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से विनियमन 12 वनभूमि (103.40 हे०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

उपरोक्त अन्ता ग्राम ताला की विनियमन अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वाणिज्यिक कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अधिकरण एवं न्यायिक प्रकरण विचारणीय नहीं है यह सगस्त गैर वनभूमि यूजर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तासील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

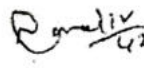
1 वनरक्षक  (नरेश शर्मा व.र.)

2 नाका प्रमारी  06/09/17

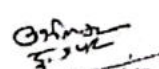
3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी  19/11

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारा

2 कानूनगो 
राजपुरा कानूनगो
6-9-17


(अशोक कुमार)
अधिसूची अभियन्ता
नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार मुन्ता
अधिसूची अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सड़क परियोजनाओं को अन्तर्गत निम्न
नम्बर द्वारा द्वारा आदेश नम्बर 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नलिखित
पर वनभूमि (103.40 हे०) वन विभाग के नाम आर्जिट की गई है।

तदुसीन अन्ता नाम रोस्सन की निम्नसारणी अनुसार वनित और वनभूमि
वापस करी हू। उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई
जीवकमण एवं व्यासिक प्रकरण विचारणीय नहीं है यह समस्त और वनभूमि सुजर
एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा जीको पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	समस्त नं.	रकबा (हेक्टर)
1		रोस्सन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 कित्ता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक

2 सचिव प्रमारी

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

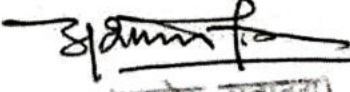
हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक

2 सचिव प्रमारी

राजीव कपूर
रूप वन संरक्षक
बारा

राजीव कपूर
रूप वन संरक्षक
बारा


(अशोक सनाद)
अधिसारी अभियन्ता
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार शुक्ला
अधिसारी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न राबक परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला स्तर पर वन भूमि (103.40 है०) वन विभाग को नाम आवांटे की गई है।

तहसील अन्ता गाम बिलेण्डी की लेमनसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि को जमीन का चार्ज हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अधिकमाण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि गूजर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.60
			115	9.50
			116	7.70
			138	10.81
		योग	149	3.63
			योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक 122 (नरेंद्र शर्मा (व.र.))

2 नाका प्रमारी 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बाराँ

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी उपरोक्त भूमि (हीनाना 62.24 है०) उप

2 कानूनगो

अशोक सनादय
अधिसापी अभियन्ता
खण्ड-शाहाबाद

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बाराँ

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

म का नाम :- ताखा

पटवार हल्का :- मानपुरा

भू.अभि.नि. :- खजूरनाबला

तहसील :- अन्ता

जिला :- बारा

अंतिम चौसला आधार सम्बन्ध :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) में
स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 105

खाता संख्या पुराना :- 100

काश्तकार का नाम :-

1. उपवन संरक्षक बारा वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

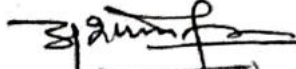
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
368	2.2500	जंगलात	2.2500 0.00			
कुल खसरे - 1	2.2500	2.2500				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020




(अशोक सनाइय)
अधिसाक्षी अभियन्ता
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसाक्षी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(वेबिये नियम 153 ए)

का नाम :- सोरसन

अंतिम चोसना आधार संख्या :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से
स्थायी

पटवार हल्का :- सोरसन

भूमि धारक का नाम :- राज मरकार

भू.अभि.नि. :- सोरसन

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 617

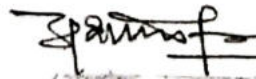
जिला :- बाग

खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम :-

1. वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1173	19.1500	गै.मु.जंगल	19.1500	0.00	
1175	19.7600	गै.मु.जंगल	19.7600	0.00	
1176	2.0000	गै.मु.जंगल	2.0000	0.00	
1177	18.6600	गै.मु.बरडा	18.6600	0.00	
1527	26.0000	गै.मु.जंगल	26.0000	0.00	
1528	32.8500	गै.मु.जंगल	32.8500	0.00	
1529	31.5000	गै.मु.जंगल	31.5000	0.00	
1530	17.6000	गै.मु.जंगल	17.6000	0.00	
1531	21.0000	गै.मु.जंगल	21.0000	0.00	
1532	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00	
1533	15.0000	गै.मु.जंगल	15.0000	0.00	
1543	12.4900	गै.मु.जंगल	12.4900	0.00	
1544	11.4500	गै.मु.जंगल	11.4500	0.00	
1548	24.3600	गै.मु.जंगल	24.3600	0.00	
1552	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00	
1781	15.2600	गै.मु.जंगल	15.2600	0.00	
1784	6.3100	गै.मु.जंगल	6.3100	0.00	
1785	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1786	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1787	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1788	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1789	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00	
1790	13.3400	गै.मु.जंगल	13.3400	0.00	
1791	6.0000	गै.मु.जंगल	6.0000	0.00	
1795	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00	
1796	11.1000	गै.मु.जंगल	11.1000	0.00	
1796/1968	0.9000	गै.मु.जंगल	0.9000	0.00	
1797	8.0000	गै.मु.जंगल	8.0000	0.00	
1798	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00	
1799	7.5600	गै.मु.जंगल	7.5600	0.00	
2136/1524	20.0600	गै.मु.जंगल	20.0600	0.00	


(अधीक्षक सहायक)
अधीक्षक सहायक
अ.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार सिंह
अधीक्षक सहायक
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

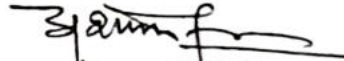
21.3800	गै.मु.जंगल	21.3800	0.00
16.0600	गै.मु.जंगल	16.0600	0.00
176	16.0600	गै.मु.बखडा	16.0600 0.00
खमरे - 34	502.8500		502.8500

इह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020




(अशोक सनाह्य)
अधिरापी अभियन्ता
प.मि.वि. खण्ड शाहाबाद


बसन्त कुमार गुप्ता
अधिरापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

म का नाम :- बिलेण्डी

अंतिम चौमला आधार सम्बन्ध :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) में स्थायी

पटवार हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

भू. अभि. नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 78

जिला :- बागौ

खाता संख्या पुराना :- 78

काश्तकार का नाम :-

1. उप वन सरक्षक बारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

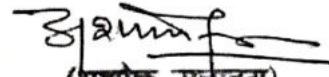
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
114	5.8000	गै.मु.बरडा 5.8000	0.00			
115	9.5800	गै.मु.बरडा 9.5800	0.00			
116	7.7000	गै.मु.बरडा 7.7000	0.00			
138	10.8100	गै.मु.बरडा 10.8100	0.00			
49	3.6300	गै.मु.बरडा 3.6300	0.00			
39	13.2000	गै.मु.बरडा 13.2000	0.00			
41	5.0000	गै.मु.बरडा 5.0000	0.00			
42	6.5200	गै.मु.बरडा 6.5200	0.00			
कुल खसरे - 8	62.2400	62.2400				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020




(अशोक सिंघ)
अधिसाधी अभियन्ता
मि. वि. खण्ड शाहाबाद


अशोक सिंघ
अधिसाधी अभियन्ता
मि. वि. खण्ड शाहाबाद

contains the state satisfying the policy of a license of transfer document and are (B) subject to the all the offered products are manufactured in information related to transfer and holding process and other items given.

Sd/- Mervay

TENDER NOTICE No. 5/21	
The Principal Chief Material Manager, Navy 1st floor, Near Jawahar Circle, Malviya Nagar, The President of India invites Open E-bids as follows. All the E-tenders will be closed at	
No.	Tender No.
Brief Description	
1	30201977
L TYPE COMPOSITION BLOCKS FOR FREIGHT	
2	30201980
BOGIE CENTRE PIVOT FOR CASNUB BOGIE	
3	30202138
POLY RING FOR PU SH	
4	30203045
COUPLER BODY WITH WEAR PLAT	

CORRIGENDUM				
No.	Tender No.	Brief Description	Qty	Unit
1.	50191 253A	LOW MAINTENANCE LEAD ACID SECONDARY CELL 2V/300AH CAPACITY	4249	Nos.

Note:- (1) Interested tenders details/description/specification/EMD & requested to obtain digital signatures and quote electronically only. (2) For viewing an open tender costing below Rs. 25 tenders and low value tenders, please information please see our solution www.nwr.indianrailways.gov.in.

Introduces 7 Additional

S. No.	Train No.	From	
1	02281	Jabalpur Dep. : 21:00 Hrs.	Arrive
2	02282	Ajmer Dep. : 15:25 Hrs.	Arrive
3	02403	Prayagraj Dep. : 23:00 Hrs.	Arrive
4	02404	Jaipur Dep. : 15:20 Hrs.	Arrive
5	05909	Dibrugarh Dep. : 09:55 Hrs.	Arrive
6	05910	Laigarh Dep. : 19:50 Hrs.	Arrive
7	06587	Yashwantpur Dep. : 05:00 Hrs.	Arrive
8	06588	Bikaner Dep. : 22:15 Hrs.	Arrive
9	02481	Jodhpur Dep. : 18:45 Hrs.	Arrive
10	02482	Delhi Sarai Rohilla Dep. : 23:15 Hrs.	Arrive
11	02976	Jaipur Dep. : 19:35 Hrs.	Arrive
12	02975	Mysore Dep. : 10:40 Hrs.	Arrive
13	04724	Bhiwani Dep. : 18:35 Hrs.	Arrive
14	04723	Kanpur central Dep. : 17:25 Hrs.	Arrive

Note:- 1. For more details, please visit www.railways.gov.in.
2. Due to COVID-19 pandemic, only reserved coaches will be running in these trains. 3. Passengers are requested to take necessary COVID-19 such as wearing masks, social distancing, etc.

भारत सरकार

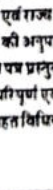


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340,
2324047, 2324025 Email : (Env.)m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoe@rediffmail.com

दिनांक : 01.10.2018

पत्र सं. हवी/राज/06/17/2015/एक.सी./440

सेवा में,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी,
वन विभाग, आरघव भवन,
झाला इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. FP/RA/ROAD/6988/2014

विषय :- Diversion of 2.0 ha. of forest land for construction of road from Ramgarh-Khalapatta road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj. in Baran Forest Division.

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) जयपुर, राजस्थान का पत्रांक एक 14 ()/2014/भारत रीम. एक्सप्ल. एम्प्ल./3562, दिनांक 18.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक एम.एन.ए.एक ()/पौरोसीएफ.एफसीए/रांड/6529, दिनांक 01.06.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट कर, जिसके द्वारा विधिवत प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) की अनुरोध भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रस्तावित प्रकरण में इस कार्यालय के समक्ष एक पत्र दिनांक 12.07.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्य अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुम्बई एवं नॉडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के द्वारा प्रेषित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपान्त मुझे आपकी यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विधिवत प्रकरण हेतु 2.0 है. संरक्षित वन भूमि का विनाशिकीय प्रकृतिक वन भूमि को नष्ट करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रिन्सिपल लिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित वन क्षेत्र के समस्त वन भूमि अर्थात् 2.0 है. पर क्षतिपूर्त वन क्षेत्रों एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रस्तावित दारों को समाहित करते हुए धनराशि) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। उक्त वन भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नमानाण किया जायेगा तथा इस भूमि को एक माह में आर्किट/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नमानाण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
3. (क) प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एक.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.सी.) की निर्धारित राशि, कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
- (ख) इसके अन्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मूल्का विवरण अर्थात् क्षतिपूर्त वन क्षेत्रों, एन.पी.सी. हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिक स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- (ग) प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का लक्षणबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.सी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बाकी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा सत्यता द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अधिकरण के ब्यय पर किया जायेगा। अर्थात् एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं प्लॉट पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक सत्यता के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।
5. प्रयोक्ता अधिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अधिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रेषित करते हुए संबंधित प्रयोगीय वन अधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार मूल्का अनुपालन आख्या एवं लक्षणबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय
(बृजेंद्र स्वर्ण)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

बसन्त कुमार गुप्ता
आभिलाषी अभिनेता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाखाद

हारी

सनाद ने युवा मोर्चा लगे-अलग और लोगों को न देने, ना धुक्ने, करने तथा व सांस लेने पर तुरंत लेने, सोशल में पानों का भी लेते वाने किया और वधानियों के



सचिव

महासंघ के वृक्ष प्रजापति, प्रजापति की कन्हैयालाल

य लिया

यक्ष रमेशचंद्र 17 सितम्बर रूप से मनाने समारोह सूक्ष्म जी की पूजा-एगा।

रेंट

लती गई और गया...



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate
Change Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-

226024, Telefax: 2326696, 2324349, 2324350, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoe@rediffmail.com

पत्र सं. 8वी/राज./06/17/2015/एफ.सी./440

दिनांक :- 01.10.2018

सेवा में,

अति. प्रधान वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन विभाग, अरण्य भवन,

झालना इस्टीमेशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No.-FP/RJ/Road/6988/2014

विषय :- Diversion of 2.0 ha. of forest land for construction of road from Ramgarh-Kalapatta road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj. In Baran Forest Division.

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), जयपुर, राजस्थान का पत्रांक-एफ14()/2014/बारा रोड्स/एफसीए/प्रमुवस/3562, दिनांक-18.09.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक-एस.एम/एफ()/पीसीसीएफ/एफसीए/रोड/6529, दिनांक -01.06.2018 का आशय गृहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-12.07.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गई थी। जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित प्रकरण हेतु 2.0 हे. संरक्षित वनभूमि का बिना किसी वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.0 हे. पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जाम की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण



पर्याव
मंत्रा
Minist
Char

केन्द्रीय भवन,

Kendriya Bha

226024, Tel

Email: (Env.) m_en

पत्र सं. 8वी/राज./06/17/2015/एफ.सी./440

सेवा में,

प्रमुख सचिव (क

रिविल सचिवाल

राजस्थान शास

ऑन

विषय :- जनपद बारन में 3

2.05 हे. वन भूमि के प्रत्य

सन्दर्भ :- अति. प्रधान

Road)/2014/एफ.सी./440

महोदय,

उपरोक्त विषय

कष्ट करें, जिसके द्वा

धारा (2) के अन्तर्गत

-23 फरवरी 2016 के

प्रकरण में इस का

सूचना चाही गई थी

अधिकारी, राजस्थान

अनुपालना पर विचार

सरकार जनपद बारन

सड़क निर्माण हेतु 2.0

हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृ

1. वन भूमि की वै

2. प्रयोक्ता अभि

वनभूमि अर्थात् 2.0

आवश्यक धनराशि

2,64,758/- (2.05 हे

उक्त भूमि वन वि

एवं नामान्तरण किया

किया जायेगा। भूमि

विधिवत स्वीकृति प्रदान

3. क्षतिपूर्क वृक्ष

मानचित्र नोडल अधि

4. प्रयोक्ता अभि

2012/1995 के अन्तर्ग

रिट
वारा

लती गई
र और
गया...



वस्था।



वंश अदलक
52



दल

वक्त हास्पिटल)

ड, बारां

अप एवं आसी रंग विवेक
प्रतिपक्ष
अप रंग विवेक
विजय बरैन
अप विवेक



9680377494

घंटे उपलब्ध

वनभूमि को बिना किसी वृक्ष पौधे के जरूर योगिक-प्रयोग का सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.0 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरंभित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पक्ष संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

(ख) इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जाएगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केंद्रीय)

उक्त भूमि वन भूमि एवं नामान्तरण किया।

किया जायेगा। भूमि विधिवत स्वीकृति प्रदान

3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र नोडल अधिकारी

4. प्रयोक्ता अभिकरण 202/1995 के अन्तर्गत एफ.सी. दिनांक 05.02 की निर्धारित राशि रूप की जाएगी।

इसके उपरांत पाइप्ट/आर.टी.जी.एस स्वीकृति की अनुपालन एन.पी.वी. क्षतिपूरक प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही

5. प्रयोक्ता अभिकरण से यदि एन.पी.वी. अभिकरण द्वारा जमा

6. विधिवत स्वीकृति प्रयोक्ता अभिकरण पीलरों से किया जा Backward and जाएगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण करार इस कार्यालय

8. प्रयोक्ता अभिकरण के मानकों के अनुसार भोपाल द्वारा प्रार्थना दिनांक -16.11.201 स्वयं के व्यय पर व (यदि उपलब्ध है तो

9. प्रयोक्ता अभिकरण सभी नियम, कानून उपरोक्त सभी शर्तों के पत्र-II/FC/R अनुसार प्राप्त होने जारी की जायेगी। द्वारा तब तक नहीं सरकार द्वारा जारी

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिसारी अभिकरण
सांख्यिक विभाग
खण्ड-शाखाबाद

कार्यालय अधिवासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां
क्रमांक : 746

दिनांक : 9-09-2020

श्रीमान उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :- Diversion of 2.0 ha of forest land for construction of road from Ramgarh-Kalapatta
Road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj. In Baran Forest Division.
प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/17-18 9442-44 दिनांक 19.07.2017

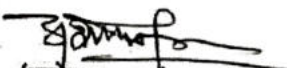
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	शर्त संख्या	विवरण
1	शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.0 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2	शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.0 है0 पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंघोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.0 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.0 है0 X 164100/- रु. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 328200/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.0 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
3	शर्त संख्या 3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, एन.पी.वी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। शर्त संख्या 3 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.0 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1252000/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। (ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छाया प्रति संलग्न है।

बसन्त कुमार गुप्ता
अधिवासी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहबाद

	जारी। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (वचन स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई बचतों को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(ग) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र को सीमा सीमा द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के पास रखा जाएगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जाएगा और वन क्षेत्र में जाने प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 4 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 5 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 7	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालना में केम्पा मद में जमा करायी जाने वाली राशि की राज्य सरकार से स्वीकृति व साख सीमा माह अप्रैल-2019 में प्राप्त हुई। इस कारण पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हुई। केम्पा मद में राशि जमा करने के पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 116 दिनांक 25.04.2019 के द्वारा अनुपालना में त्रुटि पूर्ण कर उपवन संरक्षक कार्यालय बारां भिजवा दी गई थी। तत्पश्चात् सड़क का निर्माण कार्य किया गया।


 (अशोक कुमार)
 अधिशासी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


 अशोक कुमार गुप्ता
 अधिशासी अभियन्ता
 सार्वजनिक निर्माण विभाग
 खण्ड-शाहाबाद

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-01-2026

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880043
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217 Baran
Amount(in Rs)	3952120/-

Amount in Words :Thirty-Nine Lakh Fifty-Two Thousand One Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169880043 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Rasgarh Kalapatta to Karwala Lakshipur road

passed for Rs. 3952120/- only

(As Thirty nine lac fifty two thousands one hundred twenty only)

अधिसाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग

राजस्थान सरकार
जयपुर

मिड. डी. कोड नं- 18438

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?orderID=6169880043

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-01-2026

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880043
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217 Baran
Amount(in Rs)	3952120/-

Amount in Words :Thirty-Nine Lakh Fifty-Two Thousand One Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169880043 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

वसन्त कुमार मुन्ता
अधिसाधी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
जयपुर-राजस्थान

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, PWD, RAJASTHAN, JAIPUR
No.F.1/P&M-II/SR/2025-26

Executive Engineer,
PWD Dn. Shahabad.

Sub:-Regarding providing budget for compliance of NOC demanded for roads falling in forest area under RRSMP Scheme.

Ref.:-CE(PMGSY) U.O. Note No- 19147522 Dated 02.12.2025 & Your letter No. 1510 dated 02.12.2025.

Sir,

As recommended vide reference cited above, the following amount are hereby agreed in PWD Dn- Shahbad in ordinary repair under Budget Head 3054 Roads & Bridges, 04- District & Other Roads, 105 Maintenance and repair., (02) Village Roads [01] Repair of Village Roads Committed, 21-Maintenance (Material) (State fund) for the year 2025-26 as under:-

S. No.	Proposal NO.	Name of Work	Area of forest (Ha)	Amount for forest land
1	FP/RJ/Road/7127/2014	Manli to Laxmipura Patpadi road	1.14	38,08,544
2	FP/RJ/Road/6996/2014	Bhanwargarh to Ranwasi road	2.50	49,40,150
3	FP/RJ/Road/6994/2014	Khandela to Halawani road	2.05	40,50,923
4	FP/RJ/Road/6988/2014	Ramgarh Kalapatta to Karwalan Laxmipura road	2.00	39,52,120
Total			0	1,67,51,737/-

This agreed amount will be transferred to PWD Dn. Shahabad for payment to Forest department. The expenditure may strictly be restricted within the agreed amount.

Yours faithfully,

E-Sign
(MOOKESH BHATI)
CHIEF ENGINEER (ROADS)

Copy to the following for information and necessary action:-

1. CE(PMGSY), PWD, Rajasthan, Jaipur.
2. Addl. Chief Engineer PWD Zone-Kota.
3. Superintending Engineer PWD Circle Baran.



RajKaj Ref No.:
19868445



Signature Not Verified

Digitally signed by Mookesh Bhati
Designation : Chief Engineer
Date: 2026.01.12 16:30:14 IST
Reason: Approved

वसन्त कुमार गुप्ता
अतिरिक्त अभियन्ता
राज्य पिट विभाग
जयपुर-राजस्थान



Payvian

Online Bill Preparation...

FINANCE DEPT. MENT

Integrated Financial Management System
Government of Rajasthan

Home

LoginID:06502004

Year:2025-2026

OfficeName:Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)(18436)

Master

Bill Processing

Authorization

Reports

Other Bill

Employee Corner

System Admin

Help

LogOut

UTR Report

Search By: ☒ Reference No. ☐ UTR No. Enter Reference/UTR No. : 56591873

Show Details

Pdf Report

Reference No.	UTR Number	Name/Account No.	Bank/Branch Name	Bill Type	Amount
56591873	/XUTR/RBISH00416727836	rajasthancamp2 150856169880043	UNION BANK OF INDIA FCS BANGALORE	FVC	3952120.00

Ramgosh Kalapadha to karnuwa Gannipura

05/03/2026



Application Designed, Developed & Hosted By National Informatics Centre.
Contents Provided By Department of Treasuries and Accounts, Rajasthan

07

रामगोश गुप्ता
ज्येष्ठ अधिकारी
आर्थिक विभाग
राज-राजस्थान

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/6988/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/6988/2014) Road from Ramgarh-Kalapatta Road to Karwala Lakshimpura	ROAD69882014043	6169880043	01 Oct 2018	CA: 1373000/- Addl CA : 0/- PCA: 1915560/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 663560/- nil : 0/- nil : 0/- nil : 0/- Total : 3952120/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 28 Jan 2026 Transaction Date : 05 Mar 2026	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/150120261651127994_FPRJROAD69882014_U) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD69882014)
2	FP/RJ/ROAD/6996/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/6996/2014) Road from Bhanwargarh to Ranwasi	ROAD69962014771	6169960771	27 Dec 2018	CA: 1716250/- Addl CA : 0/- PCA: 2394450/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 829450/- nil : 0/- nil : 0/- nil : 0/- Total : 4940150/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 28 Jan 2026 Transaction Date : 05 Mar 2026	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/150120261647459430_FPRJROAD69962014_U) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD69962014)
3	FP/RJ/ROAD/7000/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/7000/2014) Road from Gordhanpura to Kali mati	ROAD70002014368	6170000368	04 Aug 2016	CA: 101022/- Addl CA : 0/- PCA: 2283348/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 988705/- NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- Total : 3373075/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 19 Feb 2024 Transaction Date : 15 Mar 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/260120241411133184_FPRJROAD70002014_U) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD70002014)
4	FP/RJ/ROAD/6954/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/6954/2014) Road Work from Jalwara to Kishanpura	ROAD69542014106	6169540106	23 Aug 2016	CA: 100344/- Addl CA : 0/- PCA: 1405868/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 982069/- NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- Total : 2488281/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 19 Feb 2024 Transaction Date : 05 Mar 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/260120241400566789_FPRJROAD69542014_U) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD69542014)
5	FP/RJ/ROAD/6956/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/6956/2014) Road from Nehroopur to Jhhiri	ROAD69562014818	6169560818	04 Aug 2016	CA: 633600/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 3064896/- NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- Total : 3698496/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 25 Aug 2023 Transaction Date : 11 Sep 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/300420230954390291_FPRJROAD69562014_U) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD69562014)
6	FP/RJ/ROAD/6999/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/6999/2014) Road from Dhikoniya to Talawara	ROAD69992014784	6169990784	04 Aug 2016	CA: 1485000/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 7183350/- NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- Total : 8668350/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 29 Jul 2023 Transaction Date : 07 Sep 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/300420230952250567_FPRJROAD69992014_U) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD69992014)

FP/RJ/ROAD/6982/2014 New report.aspx? pid=FP/RJ/ROAD/6982/2014) Road from Gordhanpura to Shalta	ROAD69822014112616982011205 Feb 2016	CA: 0/-, Addl CA: 105979.02/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 0/-, NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- Total: 105979.02/-	7 Paid Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 15 Sep 2022 Transaction Date 16 Sep 2022	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/110920221247151089_FPRJROAD69822014_Ur Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD69822014
FP/RJ/ROAD/6954/2014 New report.aspx? pid=FP/RJ/ROAD/6954/2014) Road Work from Jalwara to Kichanpura	ROAD69542014640616954064023 Aug 2016	CA: 485736/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1852960/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2338696/-	7 Paid Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 22 Apr 2019 Transaction Date 23 Apr 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/41114122412110K6MWJalwara Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD6954
FP/RJ/ROAD/6980/2014 New report.aspx? pid=FP/RJ/ROAD/6980/2014) Road from beekhera dang to patan	ROAD69802014045616980004513 Jul 2015	CA: 570000/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 626000/- for 10 years both side of road : 6536230/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 7732230/-	7 Paid Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 22 Apr 2019 Transaction Date 23 Apr 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/41114124412100Q9TUBeekhera Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD6980
FP/RJ/ROAD/6983/2014 New report.aspx? pid=FP/RJ/ROAD/6983/2014) Road from Ranwasi to Ranwasi	ROAD69832014730616983073003 Mar 2015	CA: 337800/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 0/-, for plantation near road and maintenance for 10 ye : 184115/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 521915/-	7 Paid Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 22 Apr 2019 Transaction Date 23 Apr 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/4111412581210M4ODGRanwasi Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD6983
FP/RJ/ROAD/6988/2014 New report.aspx? pid=FP/RJ/ROAD/6988/2014) Road from Ramgarh- Kalapatta Road to Karwala Lakshimpura	ROAD69882014119616988011901 Oct 2018	CA: 328200/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1252000/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1580200/-	7 Paid Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 22 Apr 2019 Transaction Date 23 Apr 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/4111412381211VOM7QRamgarhkalapattaroadt Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD6988
FP/RJ/ROAD/6993/2014 New report.aspx? pid=FP/RJ/ROAD/6993/2014) Road from Lakdai to Maml via Durjanpura	ROAD69932014705616993070518 Mar 2015	CA: 337800/-, Addl CA: 342454/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 0/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 680254/-	7 Paid Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 23 Apr 2019 Transaction Date 23 Apr 2019	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/4111812591216EWPXCMG_000 Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD6993

अभिषेक कुमार गुप्ता
अभिषेक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड-शाहाबाद

12

([HTTPS://DATA.GOV.IN/](https://data.gov.in/))



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



my
GOV ([HTTPS://WWW.MYGOV.IN/](https://www.mygov.in/))

MeitY



For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, [monitoring-fc\(at\)nic\(dot\)in](mailto:monitoring-fc(at)nic(dot)in)

4/4